

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेडा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 9/2017 राजस्व वाद

उनवान

1. वजीर खां पिता महबुब खां कायमखानी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादी)

बनाम

1. श्रीमति देउ पत्नि उंकार गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्रीमति सजना पत्नि नानु गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
3. श्री भोजराज पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
4. श्रीमति भगवानी देवी पत्नि गोपाल गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा एवं पदेन उपजीयक बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –


1. श्री दिनेश कुमार जोशी .....वादी अधिवक्ता

दिनांक– 30.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में वादी मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04 उपस्थित। आज दिनांक 30.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य सहमति मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बनेडा पटवार क्षेत्र बनेडा तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी का हक हिस्सा कब्जा अनुसार प्रथक रखते हुए व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 को शामिल यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. वजीर खां पिता महबूब खां कायमखानी निवासी बनेडा (वादी)

आ0न0	रकबा	लगान
5133/1	02-02	1.68
कुल 1	रकबा 02-02 बीघा	1.68

  
उपखण्ड अधिकारी बनेडा  
जिला भीलवाड़ा राज.

2. भोजा पिता लक्ष्मण गुर्जर 1/4, भगवानी पत्नि गोपाल गुर्जर 1/4 सजना पत्नि नानु गुर्जर 1/4 देउ पत्नि उंकार गुर्जर 1/4 हि0ब0 (प्रतिवादीगण)

आ0न0	रकबा	लगान
5133	02-17	2.28
5142	01-08	1.12
कुल 2	रकबा 04-05 बीघा	3.40

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा जिला भीलवाड़ा  
जिन्य भीलवाड़ा राज